(50)

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण निग - 1077 -II- 16

श्रीमती डॉली पत्नी प्रमोद कुमार अग्रवाल

निवासी--23 गोपाल नीखरा, झांसी (उ.प्र.)

विरूद्व

श्रीमती पुष्पा पत्नी प्रकाशचन्द्र गुप्ता

कृषक ग्राम--जोहरिया

तहसील व जिला--दतिया म.प्र.

निवासी--झांसी (उ.प्र.)

श्री मुकेश बेलापुरकर एडवोकेट द्वारा आज दि. 4/4/16 को प्रस्तुत

4-4-16

राजस्व निरीक्षक वृत्त उदगवा तहसील--दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/अ--12/2014--15 में की गयी सीमांकन की कार्यवाहीं एवं उसकी पुष्टि के आदेश दिनांक 03--03--2016 के पुनरीक्षण अंतर्गत हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा--50 म.प्र. भू--राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है--

1. यह कि, ग्राम जोहरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 620, क्षेत्रफल 0.76 हैक्टेयर में से 0.71 हैक्टेयर भूमि आवेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा क्रय किया था क्रय की गयी भूमि पर आवेदक का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त सर्वे क्रमांक की शेष भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अधिकृत की जा चुकी थी.

2. यह कि, आवेदक की भूमि से लगी हुयी भूमि सर्वे क्रमांक 619 की भूमि स्वामी अनावेदक ने संहिता की धारा--129 के अंतर्गत सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26--02--2016 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किया गया था.

3. यह कि, दिनांक 26--02--2016 को प्रकरण पंजीबद्व करने की आदेश पत्रिका में सीमांकन हेतु दिनांक 03--03--2016 की तिथि निर्धारित की गयी एवं सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया.

4. यह कि, आवेदक झांसी में निवास करती है आवेदक की भूमि की देख--रेख के लिये आवेदक ने जिस व्यक्ति को अधिकृत किया है उसने सूचना पत्र पर टिप अंकित करते हुये सूचना पत्र वापस कर दिया कि आवेदक अस्वस्थ है अतः सीमांकन हेतु अन्य दिनांक नियत किया जायें.

5. यह कि, राजस्व निरीक्षक ने आवेदक पर सूचना पत्र का व्यक्तिशः निर्वाह न होते हुये भी दिनांक 03--03--2016 को सीमांकन की औपचारिक कार्यवाहीं सम्पन्न की जिसमें आवेदक अथवा अनावेदक की भूमि की नाप नहीं की गयी एवं आवेदक की भूमि के एक भाग को अनावेदक की भूमि दर्शाते हुये दिनांक 03--03--2016 को ही सीमांकन की पुष्टि के आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1077-दो/16 **जिला** - दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी दतिया</u>**	